(67) (41) (132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3083-I/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–07–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 388/12–13 अपील ।

अजय योगी पिता श्री खेमनाथ योगी,
निवासी ग्राम निनोरा तहसील व जिला उज्जैन म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–मांगीलाल पिता पुराजी चौधरी
निवासी ग्राम निनोरा तहसील व जिला उज्जैन
2–पन्नालाल पिता श्री बोन्दाजी मृत
द्वारा वारिस पुत्री श्रीमती पार्वतीबाई पति आनन्दीलाल
निवासी ग्राम राधो पिपंल्या तहसील व जिला उज्जैन
3–सौदानसिंह पिता श्री पुराजी चौधरी
निवासी ग्राम पानबिहार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन
4–बद्रीलाल पिता पुराजी चौधरी
5–जगन्नाथ पिता पुराजी चौधरी
दोनों निवासीगण ग्रामकराड़िया उर्फ नवाखेड़ा तह0व जिला उज्जैन
6–श्रीमती झल्लूबाई पिता श्री पुराजी चौधरी
निवासी ग्राम गुदराखेड़ी तहसील हातोद जिला इंदौर म0प्र0
7–सीताबाई पिता पुराजी चौधरी पति धन्नालाल
निवासी ग्राम जमालपुरा तहसील व जिला उज्जैन म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक आवेदक
एकपक्षीय–अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4/4/2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 388/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 03.07.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 पन्नालाल के पिता बोन्दाजी ने तहसील न्यायालय, तहसील व जिला उज्जैन के न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109, 110 व 190 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम नवाखेड़ा उर्फ कराड़िया तहसील व जिला उज्जैन की कृषि भूमि सर्वे कमांक 182 रकबा 0.83 हेक्टर पर निरन्तर निर्विवादित रूप से पट्टे के आधार पर कब्जा चला आ रहा होने संहिता की धारा 168 के उल्लंघन में आवेदक को अधिपति कृषक के आधार पर भूमिस्वामी के रूप में अधिकार प्राप्त हो जाने से उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जो प्रकरण कमांक 28/अ–6/2008–09 को परिवर्तित कर नया नम्बर प्रकरण कमांक 14/अ–6/2009–10 पर दर्ज किया गया । अनावेदक कमांक 2 के पिता के आवेदन पत्र की तामील अनावेदक कमांक 1 व 3, 4, 5, 6, 7 को होने के बाद तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन ने विधिवत् जॉच कर साक्ष्य लेकर अनावेदक क्र.1 की जगह अनावेदक कमांक 2 पन्नालाल के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिनांक 16–05–2010 को दिया । अनावेदक कमांक पन्नालाल के पिता ने उपरोक्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 182 रकबा 0.83 हेक्टर दिनांक 06–08–2010 को आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी जिस पर से विधिवत् नामान्तरण आवेदक का उक्त भूमि पर हो गया । अनावेदक कमांक 2 मृत हो चुके हैं अतः उनके स्थान पर उनकी पुत्री जो उनकी एक मात्र वारिस हैं, का नाम वारिसान के रूप में जोड़ा गया । अनावेदक कमांक 1 मॉगीलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग उज्जैन के न्यायालय में दिनांक. 08–12–2010 को अपील अवधि बाधित प्रस्तुत की गई । अनावेदक कमांक 1 व अनावेदक

कमांक 2 के पिता द्वारा आवेदक के विरूद्ध षड़यंत्र कर नुकसान पहुॅचाने के आशय से अनावेदक कमांक 1 ने आवेदक को अपील में पक्षकार नहीं बनाया । आवेदक द्वारा अपील में पक्षकार बनने का आवेदन पत्र दिनांक 13–5–2011 को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को अपील में पक्षकार बनाया गया तथा प्रोसेडिंग दिनांक 20–12–2010 को लिखा गया कि अवधि विधान की धारा 5 के निराकरण हेतु अनावेदक को नोटिस जारी हो परन्तु अपील के अंतिम निराकरण तक धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया और अपील में अंतिम आदेश पारित कर स्वीकार कर ली। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई, जो अपर आयुक्त न्यायालय के प्रकरण कमांक 388/12–13 अपील में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 03.07.2013 से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2013 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि जिसमें बताया कि अपीलीय न्यायालय में जो मुद्दे आवेदक द्वारा उठाये गये उनका अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में कोई विवेचन नहीं किया और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाये जिससे अपील में उठाये गये मुद्दों का परीक्षण किया जा सके । तर्क में यह भी कहा कि संहिता की धारा 168 के विरूद्ध जो पट्टा दिया जाता है उसके आधार पर पट्टाग्रहिता को संहिता की धारा 169 के अन्तर्गत अधिपति कृषक के अधिकार प्राप्त होकर मोरूसी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी बन जाता है उक्त पट्टे व कब्जे के कथन स्वयं अनावेदक कमांक 1 मॉगीलाल ने तहसील न्यायालय में दिनांक 19–01–2010 को दिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के विपरीत आदेश दिया है । तर्क में यह कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर समुचित रूप से विचार न कर उक्त आवेदन पत्र लंबित रहते आवेदन के पैरा 2 में अनावेदक कमांक 1 द्वारा लिखा गया कि उसे दिनांक 24–9–10 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिये जाने पर नकल दिनांक 8–11–2010 को प्राप्त हुई व दिनंक 8–12–2010 को

एक माह बाद अपील प्रस्तुत की जबकि अवधि बाधित अपील में नकल प्राप्त होने की दिनांक से अपील प्रस्तुत होने तक एक–एक दिन के कारण का वर्णन करना आवश्यक है, जो अनावेदक द्वारा नहीं किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किये बिना अवधि बाधित अपील को स्वीकार करने में वैधानिक एवम् तथ्यात्मक भूल की है जिस पर अपर आयुक्त न्यायालय भी ध्यान न देकर अपील निरस्त करने में विधि की वैधानिक भूल की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया कि नामान्तरण प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौके पर बनाये गये पंचनामे पर व साक्षियों के कथनों पर विचार न कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने मनमाना निष्कर्ष निकालते हुये आलोच्य आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में बताया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने इस पर विचार न कर आलोच्य आदेश पारित किये हैं । अनावेदक कमांक 2 पन्नालाल के पिता ने पटटे के आधार पर निरन्तर कृषि भूमि पर अपने तदबा काश्त से कृषि करके अनावेदक कमांक 1 व अन्य की जानकारी में फसल प्राप्त करता चला आ रहा था व अनावेदक कमांक 1 का कृषि भूमि पर आधिपत्य भी नहीं था इसलिये उसे मोरूसी कृषक एवम् भूमिस्वामी के स्वत्व प्राप्त हो चुके थे क्यों कि कृषि भूमि पर 7–8 वर्ष से अधिक अवधि के लिये लगातार पटटे के आधार पर भूमि प्राप्त करने से ऐसे पटटेदार को मोरूसी कृषक एवं तत्पश्चात् भूमिस्वामी के स्वत्व प्राप्त हो जाते हैं इसी आधार पर नामानतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने उक्त विधिक व्यवस्था पर विचार न कर विचाराधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक भूल की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–05–2010 यथावत रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने व आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है उसे पूर्ववत् रखे जाने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया ।

4– प्रकरण में अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे, इस कारण अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक पन्नालाल ने विगत 23 वर्षो से भूमि पटटे पर प्राप्त होने के आधार पर उसे मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त होने से संहिता की धारा 190 के तहत भूमिस्वामी घोषित करने की मॉग की । समर्थन में पटवारी रिपोर्ट, मौका पंचनामा, आनंदीलाल, झल्लूबाई, रामलाल तथा स्वयं भूमिस्वामी मॉगीलाल के कथन कराये गये । मॉगीलाल के कथन से भूमि विगत 20–22 वर्ष से पन्नालाल को पटटे पर प्राप्त होना प्रमाणित है । उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अनावेदक पन्नालाल द्वारा संहिता की धारा 169 के तहत स्वयं को मौरूषी कृषक प्रमाणित किया है अतः संहिता की धारा 190 के तहत तहसीलदार ने उसे भूमिस्वामी अधिकार देने में कोई त्रुटि नहीं की ।

6– उक्त आदेश को मॉगीलाल ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी लेकिन अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । अनुविभागीय अधिकारी ने बिना वैधानिक प्रावधान के संहिता की धारा 168, 169 तथा 190 पर ध्यान दिये तहसीलदार का आदेश यह मानते हुये कि कब्जे के आधार पर नामान्तरण नहीं हो सकता तथा बिना साक्ष्यों का अवलोकन किये निरस्त कर दिया । अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील बिना कोई कारण बताये अमान्य की दी ।

7– प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पन्नालाल द्वारा साक्षियों के आधार पर अपना पक्ष प्रमाणित किया है । तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है जबकि अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेश विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि पन्नालाल से क्रय करने के कारण पश्चातवर्ती भूमिस्वामी होने से यह निगरानी प्रस्तुत की

है । अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी/अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर